माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53)

मुदालियर आयोग द्वारा दिए गए सुझाव →

i) माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य
ii) माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठन
iii) व्यवसायिक शिक्षा
iv) पाठ्यक्रम
v) भाषाएं या शिक्षा का माध्यम
vi) शिक्षण विधि
vii) परीक्षा और मूल्यांकन
viii) चरित्र निर्माण
ix) मार्गदर्शन एवं परामर्श
x) छात्रों की शारीरिक शिक्षा
xi) धार्मिक शिक्षा
xii) अध्यापक प्रशिक्षण
xiii) शिक्षकों की दशा में सुधार
xiv) प्रशासन की समस्याएं या सुझाव

माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठन →

a) माध्यमिक शिक्षा कक्षा 5 से 11 तक 7 वर्षीय शिक्षा होगी
b) यह 11 से 17 वर्ष के बालक - बालिकाओं के लिए होगी।
c) इस शिक्षण काल को दो भागों में बाँटा जाया
a) तीन वर्ष की Middle या Junior माध्यमिक शिक्षा - (5, 6, 7)

b) चार वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (8, 9, 10, 11)

c) इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर उसकी ग्यारहवीं कक्षा माध्यमिक कक्षा में और 12वीं डिग्री कोर्स में सम्मिलित कर दी जाय।

d) प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष कर दी जाय

e) हाईस्कूल के उत्तीर्ण विद्यार्थीयों के लिए 4 वर्ष का पूर्वविश्वविद्यालय कोर्स आयोजित किया जाय

f) माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय विद्यालय खोले जाय और देश के महानगरों में केंद्रिय प्रौद्योगिक विद्यालय खोले जाय।

g) ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में कृषि शिक्षा की विशेष रूप से व्यवस्था हो।

h) पब्लिक स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा दी जाय।

i) विकलांग बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय खोले जाय

j) बालिकाओं के लिए बड़ी संख्या में प्रथक विद्यालय खोले जाय और जहाँ ऐसा करना सम्भव न हो वहाँ सहशिक्षा की व्यवस्था की जाय।

k) ऐसे बालकों के लिए निवासात्मक विद्यालय स्थापित किए जाय जिनके माता-पिता उन्हें उचित सुविधाएं देने में असमर्थ हो।

l) बड़े शहरों में Polytechnic col. खोले जाये

m) Polytechnic col. और स्थानीय उद्योगों में निकट का संबंध होना चाहिए, इन्हे एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए।

व्यवसायिक शिक्षा :-

i) व्यवसायिक शिक्षा का उद्देश्य कुशल और चतुर शक्ति उत्पन्न करना है।

ii) व्यवसायिक शिक्षा का कार्य मन, मस्तिष्क और हाथ का पूर्ण विकास करना है।

iii) गाँव में कृषि प्रधान सामान्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बाद में छात्र कृषि की किसी एक शाखा में कुशलता प्राप्त कर सके।

iv) प्राविधिक एवं प्रौद्योगिक विद्यालय काफी बड़ी संख्या में प्रारम्भ किए जाने चाहिए।

v) जहाँ तक सम्भव हो प्राविधिक विद्यालय सेबद्ध उद्योगों के निकट ही स्थापित किए जाय।

vi) उद्योगों में छात्रों व्यवहारिक शिक्षा दी जाय।

vii) उद्योगपतियों पर छोटा सा कर लगाकर उसका उपयोग प्राविधिक शिक्षा के विकास और विस्तार में किया जाय।

माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम :-

Middle अथवा Juniour Highschool के विषय :-

(i) भाषाएं (Hindi, English, mother tongue)
(ii) सामाजिक विज्ञान
(iii) सामान्य विज्ञान
(iv) गणित
(v) कला एवं संगीत
(vi) SUPW (Socially useful productive work)
(vii) शारीरिक शिक्षा

उच्चत्तर माध्यमिक स्तर के विषय →

अनिवार्य विषय →
(i) मातृभाषा
(ii) भाषा हिन्दी (अहिन्दी भाषा-भाषियों के लिए।)
(ii) सामाजिक अध्ययन
(iii) ~~सामान्य~~ विज्ञान व गणित
(iv) हस्तशिल्प

विविध विषयों के अन्तर्गत निम्नांकित सात समूह होगे विद्यार्थी किसी एक समूह के तीन विषय ले सकता है
(i) मानव विज्ञान
(ii) विज्ञान
(iii) प्राविधिक
(iv) वाणिज्य
(v) कृषि शिक्षा
(vi) ललित कलाए
(vii) गृह विज्ञान

शिक्षा का माध्यम →

(i) माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए।
(ii) निम्न माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाएं पढ़ायी जायो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कम से कम दो भाषाओं का अध्ययन कराया जाय जिसमें मातृ भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा और दूसरी विदेशी भाषा अथवा शास्त्रीय भाषा।

शिक्षण प्रविधि →
1. रटने पर बल न देकर समझने पर बल .
2. क्रिया विधि और योजना विधि
3. Use of A-V. aids.
4. प्रयोगिक विधि
5. स्वाध्याय
6. Learning by doing

परीक्षा और मूल्यांकन →
(i) निबंधात्मक परीक्षाओं के साथ वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का उपयोग भी किया जाय।
(ii) बालकों के अंतिम मूल्यांकन में परीक्षाओं के अंको के साथ-2 समय-2 पर होने वाले टेस्टो और विद्यालय अभिलेख को भी महत्व दिया जाय
(iii) परीक्षाओं का मूल्यांकन अंको में न करके सांकेतिक चिन्हों में किया जाय। (5 pt. scale)
(iv) बाहरी परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों को पूरक (compartmental) परीक्षा द्वारा परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जाय।
(v) प्रत्येक छात्र का विद्यालय अभिलेख रखा जाय जिसमे समय-2 पर बालक के विकास एवं प्रगति की गति तथा विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियों का ~~उपयोग~~ उल्लेख किया जाय।

चरित्र निर्माण के लिए (अनुशासन की स्थापना) →

छात्रों के चरित्र निर्माण एवं अनुशासनहीनता को कम करने के लिए आयोग ने निम्न सुझाव दिए –

i) शिक्षक - शिक्षार्थी में निकट सम्बन्ध होना चाहिए।
ii) छात्र संघ द्वारा छात्रों को उत्तरदायी जीवन का प्रशिक्षण देना चाहिए।
iii) बालकों की इच्छानुसार धार्मिक शिक्षा दी जाए।
iv) स्काउटिंग, NCC, First Aid, Junior Red Cross, को प्रोत्साहन दिया जाय।
v) छात्रों का उचित मार्गदर्शन किया जाय।
vi) 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के लिए राजनीति में भाग लेना वर्जित कर दिया जाय।

Guidance & Counselling →

i) शैक्षिक मार्गदर्शन की व्यवस्था की जाय।
ii) छात्रों को विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसायों के क्षेत्र, प्रकृति एवं महत्व का समुचित ज्ञान दिया जाय।
iii) विद्यालयों में मार्गदर्शन अधिकारियों की नियुक्ति की जाय।

शारीरिक शिक्षा →

(i) विद्यालय में स्वास्थ्य सेवा का संगठन किया जाय।
(ii) बालकों की नियमित स्वास्थ्य निरीक्षण तथा विद्यालय, औषधालय की व्यवस्था की जाय।
iii) बालकों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाय उसे शारीरिक श्रम एवं व्यायाम कराया जाय।

धार्मिक शिक्षा →

i) धार्मिक शिक्षा विद्यालयों में दी जा सकती है।
ii) यह शिक्षा विद्यालय के शिक्षण के समय से पूर्व अथवा बाद में दि जा सकती है।
iii) अभिभावकों की अनुमति प्राप्त होने के बाद ही दी जाय।
iv) किसी को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यापक प्रशिक्षण →

अध्यापक प्रशिक्षण दो प्रकार का हो
(i) माध्यमिक शिक्षा पास अध्यापक (जिनका प्रशिक्षण दो वर्ष का हो)
(ii) स्नातक परीक्षा पास अध्यापक (जिनका प्रशिक्षण काल अभी तो 1 वर्ष का हो परन्तु बाद में 2 वर्ष का कर दिया जाय)
(iii) प्रशिक्षण विद्यालयों में छात्र अध्यापकों की निशुल्क शिक्षा हो।
(iv) उन्हें राज्य की ओर से छात्रवृत्तियां दी जाय।
(v) जो अध्यापक किसी विद्यालय में कार्य कर रहे हो अको प्रशिक्षण के लिए पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जाय।
(vi) छात्राध्यापकों के लिए उचित छात्रावास बनाय जाय।
(vii) प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए (Refresher) आधुनिक पाठ्यक्रम, व्यवहारिक

प्रशिक्षण कार्यशाला की व्यवस्था की जाय।

(viii) योग्य अध्यापकों के लिए M.Ed कोर्स का विधान हो।

अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवा सुविधाएं →

(i) सभी प्रकार के विद्यालयों में अध्यापक चयन के लिए एक तरह की पद्धति अपनायी जाय।

(ii) अध्यापक के Provision (Probation period) का काल साधारणतया 1 वर्ष का होना चाहिए।

(iii) Highschool के अध्यापक प्रशिक्षण Graduate हो।

(iv) समान योग्यता एवं समान प्रकार के कार्य करने वाले अध्यापकों के वेतन क्रम समान हो चाहे वे किसी प्रकार के विद्यालयों में पढ़ा रहे हो।

(v) अध्यापकों के वेतन क्रम के निर्धारण के लिए विशिष्ट कमिटियाँ बनायी जाय जो बढ़ती हुई महँगाई को ध्यान में रखकर अध्यापकों के वेतन क्रम निर्धारित करें।

(vi) अध्यापकों को आर्थिक चिंताओं से मुक्त करने के लिए हर राज्य में त्रिमुखी लाभ योजना (Pension, Provided fund, Policy)

Retirement age 60 वर्ष की होनी चाहिए।

(vii) अध्यापकों के बच्चों को स्कूल स्तर की शिक्षा नि:शुल्क दी जाय।

(viii) अध्यापकों को यथासम्भव आवास विद्यालय के पास दिए जाएं जिससे वे विद्यालय के विभिन्न प्रकार के कार्यों में अधिक सहयोग दे सके।

(ix) जो अध्यापक शैक्षिक सेमिनार अथवा कान्फ्रेंस में भाग लेना चाहे उन्हें छुट्टी और यात्रा की सुविधा दि जाए

(x) अध्यापकों को नि:शुल्क डाक्टरी चिकित्सा दी जाये।

(xi) सभी प्रकार के विद्यालयों में अध्यापको की छुट्टी के नियम यथासम्भव समान होने चाहिए।

(xii) अध्यापको द्वारा Private tuition की प्रथा को समाप्त कर दी जाय।

(xiii) अध्यापकों को समाज में समुचित सम्मान मिलना चाहिए।

(xiv) Head Master का वेतन अच्छा होना चाहिए जिससे योग्य व्यक्ति इस कार्य के लिए आकर्षित हो सके।

प्रशासन सम्बन्धी समस्याएं →

प्रशासन - हर राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए जिसका अध्यक्ष शिक्षा संचालक हो। शैक्षिक विषयों पर शिक्षा मंत्री को परामर्श देने का उत्तरदायित्व शिक्षा संचालक पर होगा। केन्द्र के समान राज्यों में भी शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित किए जाए। केन्द्र तथा राज्यों में एक समन्वय समिति हो जो शैक्षिक सुधारों के उपायों पर विचार करें।

निरीक्षण - विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए

निरीक्षण मंडल बनाए जाए जिसमें अनुभवी शिक्षक, प्रधानाचार्य, तथा निरीक्षण विद्यालय के शिक्षक हो।

मान्यता – विद्यालय को मान्यता तभी दी जाए जब वे मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों को पूरा कर दें।

कार्यदिवस – 1 सत्र में कम से कम 200 कार्यदिवस हो। छुट्टियों की संख्या कम कर देनी चाहिए। प्रत्येक सप्ताह अध्यापन घंटो की संख्या कम से कम 35 होनी चाहिए

वित्त व्यवस्था – केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को शैक्षिक विकास के लिए अधिक आर्थिक सहायता दे। विद्यालयों को दिया जाने वाला दान आयकर से मुक्त हो।
विद्यालयों द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर करमुक्त होनी चाहिए।